न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर

केम्प भोपाल

R-3332-PBR/14 प्रकरण क्र. /2014

1. प्रेम नारायण आ. स्व. श्री नन्हे लाल आयु करीव 60 वर्ष जाति ढीमर निवासी ग्राम महुआ खेड़ा कला तह. बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.।

आवेदक /पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. म. प्र. शासन द्वारा जिला अध्यक्ष रायसेन एवं प्रबंधक महोदय भू दान बोर्ड जिला रायसेन म.प्र.।

2. दयाराम आ. दमरू आयु करीव 58 वर्ष जाति ढीमर निवासी ग्राम महुआ खेड़ाकला हाल निवास मोहल्ला गंभीरिया बेगमगंज तह. बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.

अनावेदक/ उत्तरवादी गण

श्री आई एस. बुन्देला अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 23.9.14 को भोपाल केम्प पर प्रस्तुत।
23.9.14

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व सहिता 1959 पुनरीक्षण ग्रस्त आदेश अधिनस्थ अधिकारी व राजस्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बेगमगंज द्वारा प्रकरण क्र. 33 अ. 73 प्रा. 1139 आदेश दिनांक 13.05. 1975 अभिलेख दुरूस्ती आदेश दिनांक 30.05.1975।

23.9.14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3332–पीबीआर/14 **जिला** रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–10–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 33 अ. 73 प्रा. 1139 में पारित आदेश दिनांक 13–5–1975 एवं अभिलेख दुरूस्ती आदेश दिनांक 30–5–1975 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, परन्तु आवेदक की ओर से उक्त आदेशों की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है, और न ही म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 48 के अंतर्गत सत्यप्रतिलिपि से छूट प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा केवल यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आदेशों की प्रतियां चाही गई थीं, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा केवल खसरे की प्रति उपलब्ध कराकर अन्य कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होने संबंधी पत्र आवेदक को दिया गया है । उनका उक्त तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा यह नहीं बतलाया गया है कि आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण एवं आदेश की जानकारी किस प्रकार प्राप्त हुई, क्योंकि आवेदक की ओर से प्रस्तुत खसरों में प्रकरण कमांक एवं आदेश का उल्लेख नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13–5–1975 एवं 30–5–1975 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 23–9–13 को लगभग 39 वर्ष से भी अधिक	

R. 3332-PBR/15   ग्वालियर

विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जो कि असाधारण विलम्ब है, और आवेदक की ओर से विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के अनुकूल प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष